कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 213/2026 **प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़** दिनांक- 05.06.2026

जनपद- आजमगढ़।
विश्व पर्यावरण दिवस पर 'एक पेड़ माँ के नाम' महाभियान के अंतर्गत पुलिस लाइन, आजमगढ़ में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित।
'एक पेड़ माँ के नाम' महाभियान में आजमगढ़ पुलिस की सहभागिता, अधिकारियों ने लिया संरक्षण का संकल्प
पुलिस उपमहानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ ने लगाया माँ के नाम एक पेड़

आज दिनांक 05.06.2026 को **विश्व पर्यावरण दिवस** के पावन अवसर पर **'एक पेड़ माँ के नाम' महाभियान** के अंतर्गत प्रदेशव्यापी वृक्षारोपण अभियान के क्रम में **जनपद आजमगढ़ में पुलिस लाइन परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया** गया। कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, हरित विकास एवं प्राकृतिक संसाधनों के संवर्धन के प्रति जन-जागरूकता उत्पन्न करना तथा अधिक से अधिक वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करना रहा।

पुलिस उपमहानिरीक्षक, आजमगढ़ परिक्षेत्र, आजमगढ़ श्री सुनील कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ० अनिल कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री मधुवन कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री चिराग जैन, क्षेत्राधिकारी नगर तथा क्षेत्राधिकारी सदर सहित अन्य पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारीगण द्वारा 'एक पेड़ माँ के नाम' लगाया गया।

अधिकारियों द्वारा पुलिस लाइन परिसर में पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया तथा वृक्षों के संरक्षण एवं संवर्धन का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर अधिकारियों ने कहा कि वृक्ष पृथ्वी के संतुलन, स्वच्छ वायु, जल संरक्षण एवं मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए तथा उसके संरक्षण का दायित्व भी निभाना चाहिए।

कार्यक्रम के दौरान सभी उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया गया तथा जनसामान्य से भी अधिकाधिक वृक्षारोपण कर हरित, स्वच्छ एवं समृद्ध उत्तर प्रदेश के निर्माण में सहभागी बनने की अपील की गई।

थाना बरदह, जनपद आजमगढ़

व्हाट्सएप पर परिचित की डीपी लगाकर की गई साइबर ठगी में पीड़ित को दिलाए गए ₹30,000 वापस

आजमगढ़ पुलिस की सतर्कता एवं त्वरित कार्रवाई से साइबर फ्राड की पूरी धनराशि हुई रिकवर

पूर्व की घटना–

दिनांक 24.10.2025 को वादी सुनील कुमार पुत्र जियालाल निवासी बैरी, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़ के व्हाट्सएप पर एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसके परिचित की डीपी लगाकर मैसेज किया गया तथा विश्वास में लेकर ₹30,000 की धनराशि अपने खाते में ट्रांसफर करा ली गई। स्वयं को परिचित बताकर की गई इस धोखाधड़ी का पता चलने पर पीड़ित द्वारा एनसीआरपी पोर्टल पर शिकायत संख्या- 23110250168198 दर्ज कराई गई।

➡ शिकायत प्राप्त होने पर साइबर हेल्प डेस्क थाना बरदह द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित बैंक खाते में फ्राड की धनराशि ₹30,000 होल्ड कराई गई। तत्पश्चात आवश्यक विधिक कार्यवाही एवं माननीय न्यायालय से प्राप्त फंड रिलीज ऑर्डर के क्रम में संबंधित बैंक के नोडल अधिकारी से समन्वय स्थापित कर पीड़ित के खाते में ₹30,000 की संपूर्ण धनराशि वापस कराई गई।

साइबर फ्राड के सामान्य तरीके-

- व्हाट्सएप पर परिचित या रिश्तेदार की डीपी लगाकर पैसे मांगना।
- फर्जी कस्टमर केयर नंबर के माध्यम से ठगी करना।
- केवाईसी अपडेट, बैंक खाता बंद होने या इनाम जीतने का झांसा देना।
- फर्जी लिंक भेजकर बैंकिंग एवं व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करना।
- ऑनलाइन खरीद-बिक्री के नाम पर एडवांस भुगतान लेकर धोखाधड़ी करना।
- सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर परिचितों से धन की मांग करना।

साइबर फ्राड से बचाव के उपाय-

- किसी भी व्यक्ति द्वारा व्हाट्सएप, सोशल मीडिया या फोन पर पैसे मांगने पर पहले उसकी पहचान की पुष्टि अवश्य करें।
- किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें।
- ओटीपी, सीवीवी, यूपीआई पिन एवं बैंकिंग जानकारी किसी के साथ साझा न करें।
- बैंक अथवा सरकारी संस्था कभी भी फोन पर गोपनीय जानकारी नहीं मांगती है।
- संदिग्ध कॉल, मैसेज अथवा लिंक से सावधान रहें।
- साइबर ठगी होने पर तत्काल हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें अथवा www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें।

➡ आजमगढ़ पुलिस आमजन से अपील करती है कि साइबर अपराधियों द्वारा अपनाए जा रहे नए-नए तरीकों से सतर्क रहें तथा किसी भी प्रकार की साइबर ठगी होने पर तुरंत सूचना देकर समय रहते अपनी धनराशि सुरक्षित कराएं।

थाना पवई, जनपद आजमगढ़
बारात में रिश्तेदार बनकर ₹55,000 की चोरी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार
चोरी के ₹50,000 नगद बरामद, अवैध तमंचा व कारतूस भी बरामद

पूर्व की घटना–

दिनांक 03.06.2026 को वादी शैलेश पुत्र पारस नाथ निवासी ग्राम रैदा, थाना पवई, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 02.06.2026 को उनके यहां लालगंज से बारात वापस आयी थी। शादी समारोह के दौरान परिवार के सदस्य विभिन्न कार्यक्रमों में व्यस्त थे। इसी बीच एक अज्ञात व्यक्ति रिश्तेदार बनकर घर में मौजूद रहा तथा मौका पाकर घर के कमरे में रखा ₹55,000 नकद से भरा बैग चोरी कर पल्सर मोटरसाइकिल संख्या UP50DC3907 से फरार हो गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना पवई पर मु0अ0सं0 132/2026 धारा 305(ए) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी/बरामदगी का विवरण–

घटना के सफल अनावरण हेतु थाना पवई पुलिस टीम द्वारा साक्ष्य संकलन, सीसीटीवी फुटेज एवं मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया। विवेचना के दौरान अभियुक्त राहुल पुत्र गिरीश निवासी चालाकपुर, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया।दिनांक 05.06.2026 को उ0नि0 विशाल चक्रवर्ती मय हमराह पुलिस बल द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर रैदा मोड़ के पास अभियुक्त राहुल को समय करीब 03:55 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी के ₹50,000 नगद बरामद हुए। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी।तलाशी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से एक अदद अवैध तमंचा .315 बोर एवं एक जिन्दा कारतूस .315 बोर भी बरामद हुआ। इस संबंध में थाना पवई पर मु0अ0सं0 134/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

पूछताछ का विवरण–

पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह दिनांक 02.06.2026 को ग्राम रैदा में बारात से लौटे परिवार के बीच रिश्तेदार बनकर शामिल हुआ था तथा मौका देखकर कमरे में रखा रुपयों से भरा बैग चोरी कर लिया था। चोरी की गई धनराशि में से ₹5,000 खर्च कर चुका था तथा शेष ₹50,000 उसके कब्जे से बरामद कर लिए गए। अभियुक्त द्वारा बरामद तमंचे को अपने बचाव एवं लोगों को डराने-धमकाने के उद्देश्य से रखना बताया गया।

पंजीकृत अभियोग–

1. मु0अ0सं0 132/2026 धारा 305(ए), 317(2) बीएनएस थाना पवई, जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 134/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना पवई, जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास–

1. मु0अ0सं0 111/2023 धारा 379/411 भादवि थाना चिरैयाकोट, जनपद मऊ।
2. मु0अ0सं0 222/2023 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0 132/2026 धारा 305(ए), 317(2) बीएनएस थाना पवई, जनपद आजमगढ़।
4. मु0अ0सं0 134/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना पवई, जनपद आजमगढ़।

बरामदगी–

- चोरी के ₹50,000 नगद
- एक अदद तमंचा .315 बोर
- एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

गिरफ्तार/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम–

उ0नि0 विशाल चक्रवर्ती
का0 अनुराग यादव, का0 विकास यादव, का0 संजीव यादव, का0 वीरेन्द्र यादव थाना पवई, जनपद आजमगढ़।

थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़

नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने के मुकदमे में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना–

वादी द्वारा थाना बिलरियागंज पर प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया गया कि उसकी नाबालिग पुत्री को रोहित राजभर पुत्र नरेश राजभर निवासी ग्राम बरोही फत्तेपुर, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 19 वर्ष द्वारा बहला-फुसलाकर ले जाया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बिलरियागंज पर मु0अ0सं0 132/2026 धारा 87/137(2) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई।

गिरफ्तारी का विवरण–

दिनांक 05.06.2026 को थाना बिलरियागंज पुलिस को मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमा उपरोक्त से संबंधित नामजद वांछित अभियुक्त रोहित राजभर पुत्र नरेश राजभर निवासी ग्राम बरोही फत्तेपुर, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 19 वर्ष को उसके घर के पास से समय करीब 07:02 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग–

मु0अ0सं0 132/2026 धारा 87/137(2) बीएनएस थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त–

रोहित राजभर पुत्र नरेश राजभर निवासी ग्राम बरोही फत्तेपुर, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. श्री अमित कुमार मिश्रा, थानाध्यक्ष बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।
2. उ0नि0 गिरिजेश यादव, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।
3. का0 अनिल कुमार विश्वकर्मा, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।

थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़

नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने एवं दुष्कर्म के मुकदमे में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना–

दिनांक 18.05.2026 को वादी द्वारा थाना निजामाबाद पर प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया गया कि उनकी नाबालिग पुत्री को अभियुक्त अंकित यादव पुत्र गोकरन यादव निवासी ग्राम सरदहा, थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़ बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना निजामाबाद पर मु0अ0सं0 124/2026 धारा 137(2), 87 बीएनएस बनाम अंकित यादव उपरोक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई। विवेचना के दौरान पीड़िता की बरामदगी, बयान, चिकित्सीय परीक्षण एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 64(1) बीएनएस तथा धारा 4(1) पॉक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई।

गिरफ्तारी का विवरण–

दिनांक 05.06.2026 को उ0नि0 राजनारायण पाण्डेय चौकी प्रभारी रशीदगंज मय हमराह क्षेत्र में तलाश वांछित अभियुक्त एवं सुरागरसी-पतारसी में मौजूद थे। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि अभियुक्त अंकित यादव शेरपुर तिराहे पर कहीं जाने की फिराक में वाहन का इंतजार कर रहा है। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम द्वारा शेरपुर तिराहे पर पहुंचकर अभियुक्त अंकित यादव पुत्र गोकरन यादव निवासी ग्राम सरदहा, थाना तहबरपुर, जनपद

आजमगढ़, उम्र करीब 21 वर्ष को समय करीब 07:30 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग–

मु0अ0सं0 124/2026 धारा 137(2), 87, 64(1) बीएनएस एवं धारा 4(1) पॉक्सो एक्ट, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त–

अंकित यादव पुत्र गोकरन यादव निवासी ग्राम सरदहा, थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 राजनारायण पाण्डेय, चौकी प्रभारी रशीदगंज।
2. का0 पियूष चौधरी, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़।

थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़

नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने के मुकदमे में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना–

दिनांक 20.09.2025 को थाना पवई पर वादी द्वारा प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया गया कि उनकी नाबालिग पुत्री घर से चली गई है तथा काफी खोजबीन के बावजूद उसका पता नहीं चल सका। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना पवई पर मु0अ0सं0 266/2025 धारा 137(2)/87 बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई। विवेचना के दौरान अभियुक्त सन्दीप कन्नौजिया पुत्र शिवप्रसाद निवासी ग्राम मखनहाँ पकड़ियापुर, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया।

गिरफ्तारी का विवरण–

दिनांक 04.06.2026 को व0उ0नि0 विजय सिंह गौड़ मय हमराह पुलिस बल द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग एवं वांछित अभियुक्तों की तलाश की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर खास से प्राप्त सूचना के आधार पर अम्बारी रेलवे क्रासिंग के पास से मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त सन्दीप कन्नौजिया पुत्र शिवप्रसाद निवासी ग्राम मखनहाँ पकड़ियापुर, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 21 वर्ष को समय 21:45 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग–

मु0अ0सं0 266/2025 धारा 137(2)/87 बीएनएस, थाना पवई, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त–

सन्दीप कन्नौजिया पुत्र शिवप्रसाद निवासी ग्राम मखनहाँ पकड़ियापुर, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास–

मु0अ0सं0 266/2025 धारा 137(2)/87 बीएनएस, थाना पवई, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. व0उ0नि0 विजय सिंह गौड़, थाना फूलपुर।
2. का0 विकास बाबू पाल।
3. रि0का0 हरिकेश।

थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़

फर्नीचर दुकान पर काम करने से मना करने पर युवक पर जानलेवा हमला करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार घटना में प्रयुक्त डंडा बरामद

पूर्व की घटना–

दिनांक 05.06.2026 को वादी अखिलेश विश्वकर्मा पुत्र गणपति विश्वकर्मा निवासी ग्राम जगदीशपुर, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर देकर अवगत कराया गया कि स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण उसने विपक्षी तबरेज आलम उर्फ मुन्ना पुत्र सलमान निवासी ग्राम जगदीशपुर, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़ की फर्नीचर दुकान पर कार्य करने से मना कर दिया। इसी बात से क्षुब्ध होकर विपक्षी ने गाली-गलौज करते हुए दुकान में रखा लकड़ी का डंडा उठाकर वादी के सिर पर प्रहार कर दिया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना फूलपुर पर मु0अ0सं0 191/2026 धारा 115(2), 109(1), 352 बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई।

गिरफ्तारी/बरामदगी का विवरण–

दिनांक 05.06.2026 को उ0नि0 कमालुद्दीन खान मय हमराह पुलिस बल द्वारा जगदीशपुर पुलिया से आगे सरायमीर रोड स्थित सहारा फर्नीचर के पास से मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त तबरेज आलम उर्फ मुन्ना पुत्र सलमान निवासी ग्राम जगदीशपुर, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 40 वर्ष को समय 10:32 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग–

मु0अ0सं0 191/2026 धारा 115(2), 109(1), 352 बीएनएस, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त–

तबरेज आलम उर्फ मुन्ना पुत्र सलमान निवासी ग्राम जगदीशपुर, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़।

बरामदगी–

• घटना में प्रयुक्त एक अदद लकड़ी का डंडा।

आपराधिक इतिहास–

मु0अ0सं0 191/2026 धारा 115(2), 109(1), 352 बीएनएस, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 कमालुद्दीन खान , थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़।
2. का0 अमितेश कुमार, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़।
3. रि0का0 केशव प्रताप सिंह, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़।

500 कुख्यात अपराधियों के यहां एक साथ पुलिस की दबिश, चार दिवसीय विशेष सत्यापन अभियान सम्पन्न

50 पुलिस टीमों ने खंगाली अपराधियों की गतिविधियां, डोजियर अपडेट कर निरोधात्मक कार्रवाई की तैयारी

लुटेरे, डकैत, तस्कर एवं नकल माफिया पुलिस रडार पर, घर-घर पहुंचकर किया गया भौतिक सत्यापन

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ० अनिल कुमार के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री मधुबन कुमार सिंह एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री शुभम तोदी के मार्गदर्शन में सर्किल नगर क्षेत्र में सोमवार से गुरुवार तक चार दिवसीय विशेष सत्यापन अभियान चलाया गया।

अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने तथा कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से चलाए गए इस अभियान के अंतर्गत लूट, डकैती, जानलेवा हमले, परीक्षा में नकल कराने, तस्करी तथा अन्य गंभीर अपराधों में संलिप्त रहे कुल 500 कुख्यात अपराधियों के यहां सामूहिक दबिश देकर उनका सत्यापन किया गया।

अभियान के सफल संचालन हेतु प्रतिदिन 50 पुलिस टीमों का गठन किया गया। प्रत्येक टीम में **01 उपनिरीक्षक एवं 04 आरक्षी** नियुक्त किए गए थे। सभी टीमों को विस्तृत ब्रीफिंग के उपरांत एक साथ कोतवाली से रवाना किया गया तथा चिन्हित अपराधियों के निवास स्थानों पर पहुंचकर उनका भौतिक सत्यापन किया गया।

सत्यापन के दौरान अपराधियों की वर्तमान गतिविधियों, रहन-सहन, आजीविका, सामाजिक व्यवहार एवं आपराधिक प्रवृत्तियों के संबंध में जानकारी एकत्रित की गई। साथ ही प्रत्येक अपराधी का डोजियर तैयार एवं अद्यतन किया गया।

अभियान का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना था कि पूर्व में अपराधों में संलिप्त रहे व्यक्ति वर्तमान में सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं अथवा पुनः अपराध जगत से जुड़कर कानून-व्यवस्था के लिए चुनौती बन रहे हैं। सत्यापन के आधार पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यकतानुसार निरोधात्मक एवं अन्य वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

जनपद आजमगढ़ पुलिस द्वारा अपराधियों पर सतत निगरानी एवं प्रभावी नियंत्रण हेतु ऐसे विशेष अभियान भविष्य में भी निरंतर चलाए जाते रहेंगे, जिससे आमजन को सुरक्षित एवं भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराया जा सके।

जनपद आजमगढ़

नई किरण प्रोजेक्ट के तहत परिवार परामर्श केंद्र में एक प्रकरण का सफल समझौता, बिखरे परिवार को मिला नया सहारा

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ० अनिल कुमार के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक यातायात/नोडल अधिकारी महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन के पर्यवेक्षण में दिनांक 05.06.2026 को थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ परिसर स्थित **परिवार परामर्श प्रकोष्ठ/नई किरण** में बैठक आयोजित की गई।

बैठक में कुल 06 पत्रावलियों में दोनों पक्षों को फोन एवं नोटिस के माध्यम से सूचित कर मिडिएशन हेतु बुलाया गया था, जिनमें से 05 पत्रावलियों में दोनों पक्ष उपस्थित हुए। काउंसलिंग एवं मध्यस्थता की प्रक्रिया के दौरान एक प्रकरण में दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर आपसी सहमति से सफलतापूर्वक समझौता कराया गया, जिससे एक बिखरे परिवार को पुनः साथ रहने का अवसर प्राप्त हुआ।

इसके अतिरिक्त 02 पत्रावलियों का निस्तारण अन्य कारणों से किया गया। शेष प्रकरणों में दोनों पक्षों को अगली तिथि हेतु नोटिस एवं फोन के माध्यम से सूचित कर पुनः मिडिएशन की कार्यवाही की जाएगी।

नई किरण प्रोजेक्ट का उद्देश्य पारिवारिक विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान कर परिवारों को टूटने से बचाना, वैवाहिक जीवन में उत्पन्न मतभेदों को संवाद के माध्यम से दूर करना तथा बिखरे हुए परिवारों को पुनः एक सूत्र में जोड़ना है। यह पहल परिवारों में नई आशा एवं विश्वास का संचार करने के साथ-साथ न्यायालयों पर बढ़ते कार्यभार को कम करने में भी सहायक सिद्ध हो रही है।

इस पुनीत कार्य में काउंसलर **उ0नि0 वरूणेश मिश्र, आरक्षी सुनील कुमार गुप्ता एवं महिला आरक्षी नेहा सिंह** उपस्थित रहे।

कुल सफल समझौते – 01